

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(32)नविवि/II/84/पार्ट


जयपुर, दिनांक : 4 DEC 2016

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या-35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार लोकहित में निम्नांकित न्यासों में उनके सम्मुख अंकित व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करती है, इनका कार्यकाल कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा :-

क्र.सं.	नगर सुधार न्यास का नाम	व्यक्ति जिसका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया गया है
1.	नगर सुधार न्यास, भीलवाडा	श्री गोपाल लाल शर्मा (खण्डेलवाल) पुत्र श्री प्रभुलाल शर्मा
2.	नगर सुधार न्यास, सीकर	श्री हरीराम रिणवा


राज्यपाल की आज्ञा से,


(अर्जुन राम चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर, भीलवाडा/सीकर।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/श्रीगंगानगर/उदयपुर/सवाईमाधोपुर/बाडमेर/पाली/चित्तौड़गढ़/भीलवाडा/सीकर।
11. संबंधित अध्यक्ष श्री ।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करे।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय